


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
केशरी देवी पति चंडाला जाति जाट का. परेवडी	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर	210 / 2021	GCMS No.	2021/29
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

25.11.2024 वादी श्री केशरी देवी पति चंडाला पुत्र द्वारा आज "प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत परेवडी में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2073-74 ग्राम परेवडी पटवार मण्डल परेवडी के खाता नम्बर 88 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि केशरी देवी पति चंडाला पुत्र जाति जाट NA(0) के दर्ज है, जो अशुद्ध है।
वादी का शुद्ध नाम केशरी देवी पति चंडाला पुत्र जाति जाट का. परेवडी है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 4863 6606 0878 मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है।
इस संबंध में हल्का पटवारी परेवडी भू.अ.नि जिला एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।
अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।


उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)



897 888